न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(नीलाभ सक्सेना,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्याः 17/20
दायर दिनांकः 02.11.2020
निर्णय दिनांक 12.07.2022

—:अनवानः—

श्री हरिश पिता श्री मनोहर लाल सोनी नि. नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा

— अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देलवाड़ जिला राजसमंद

— रेस्पोण्डेंट

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, देलवाड़ा जिला राजसमन्द प्रकरण संख्या 84/2020 सरकार बनाम हरिश, निर्णय दिनांक 14.09.2020 से व्यथित होकर, अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट
2— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता

प्रस्तुत अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का, लालमादड़ी ने ग्राम लाल मादड़ी में श्री भैरूजी धर्मराज जी स्थान देह की भूमि आराजी नं. 1043 रकबा 0.07.06 बिस्वा में से करीबन 0.01 बिस्वा भूमि पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण कर मिट्टी का भराव डालकर भूमि के स्वरूप को नुकसान पहुॅचा कर अन्न उपजाऊ बना दिये जाने से धारा 91 की कार्यवाही हेतु तहसीलदार, देलवाड़ा के यहॉ रिपोर्ट पेश करने पर तहसीलदार, देलवाड़ा द्वारा अपीलांट श्री हरिश पिता श्री मनोहर सोनी नि. नाथद्वारा के विरूद्ध कार्यवाही हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी /अपीलांट की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह आप आपत्ति प्रकट की गई कि उक्त भूमि सरकारी भूमि नहीं होने से भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। आराजी नंबर 1043 में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है तथा बाड़ व कोट का निर्माण भी नहीं किया है। विपक्षी ने आवासीय रूपान्तरित आराजी नंबर 1037 दिनांक 11.08.2016 को क्रय की है । विक्रय पत्र के साथ नजरी नक्शा में आराजी नंबर 1037 पर जाने हेतु 30 फीट चौड़ा रास्ता दर्शाया हुआ है तथा विपक्षी ने न तो कोई रास्ते पर अतिक्रमण किया है न ही धर्मराज जी स्थान देह भूमि पर कब्जा किया है। अधीनस्थ न्यायालय—तहसीलदार, देलवाड़ा ने विपक्षी/अपीलांट को प.ना.क./2020/84/2020 निर्णय दिनांक 14.09.2020 में विपक्षी को अतिक्रमी घोषित कर 07 दिवस में भराव की गई संपूर्ण मिट्टी हटा लेने, उक्त अवधि में नहीं हटाये जाने पर सरकार द्वारा मिट्टी हटाई जाने पर समस्त खर्चा विपक्षी से वसूल करने का आदेश जारी करने पर विपक्ष/अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर अपील न्यायालय में पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। तथा अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। तहसीलदार, देलवाड़ा ने अपने निर्णय दिनांक 14.09.2020 में उल्लेख किया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार श्री हरिश पिता श्री मनोहरलाल सोनी ग्राम लालमादड़ी में श्री भैरूजी धर्मराज जी स्थान देह के नाम दर्ज आ.नं. 1043 रकबा 0.01 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर मिट्टी का भराव डालकर भूमि का स्वरूप परिवर्तन कर अन उपजाउ बना दिया है। राजस्व अभिलेख अनुसार उक्त भूमि मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज है शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–6)विभाग के पत्रांकः प–3(2)राज–6/2007 पार्ट दिनांक 20.08.2020 के अनुसार मंदिर मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण किये जाने पर बिलानाम/चरागाह भूमि पर की जाने वाली कार्यवाही की तरह ही एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत ही कार्यवाही जानी है प्रावधान के तहत विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आपति खारीज की जाती है। विपक्षी द्वारा जवाब में कहा है कि विक्रय पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में 30 फीट चौड़ा रास्ता दर्शाया हुआ है तथा पंचायत द्वारा अनापति दी गई है। आ. नं. 1043 देव मूर्ति भूमि है जिस पर रास्ता दर्शाने का विक्रेता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था एवं न ही ग्राम पंचायत को अनापति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार था। विपक्षी श्री हरीश सोनी पिता श्री मनोहर सोनी द्वारा भैरूजी धर्मराज जी स्थान देह के नाम दर्ज आ.नं. 1043 के रकबा 0.01 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर मिट्टी से भर दिया है। विपक्षी को एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर आदेश दिया कि 7 दिवस में भराव की गई संपूर्ण मिट्टी हटा लें। उक्त अवधि में नहीं हटाये जाने पर सरकार द्वारा मिट्टी हटाई जावेगी, जिसका समस्त खर्चा विपक्षी से वसूल किया जावेगा।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में बताया कि आ.नं. 1037 मेरी खरीद शुदा भूमि है, वहां पहुंचने के लिये रास्ता चाहिये। आ.नं. 1043 वर्तमान में भैरूजी धर्मराज के नाम है। इस संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर, नाथद्वारा के नाम दावा दर्ज होकर 11.6.2002 को एक्सपार्टी डिक्री हुई है। मेरी भूमि में पहुंचने के लिये यही एकमात्र रास्ता है। अपीलांट ने न तो कोई रास्ते पर अतिक्रमण किया है न ही धर्मराज जी स्थान देह भूमि पर कब्जा किया है। अधीनस्थ न्यायालय–तहसीलदार, देलवाड़ा ने विपक्षी/अपीलांट को प.ना.क./2020/84/2020 निर्णय दिनांक 14.09.2020 में विपक्षी को अतिक्रमी घोषित कर 07 दिवस में भराव की गई संपूर्ण मिट्टी हटा लेने, उक्त अवधि में नहीं हटाये जाने पर सरकार द्वारा मिट्टी हटाई जाने पर समस्त खर्चा विपक्षी से वसूल करने का आदेश जारी करने पर विपक्ष/अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर अपील न्यायालय में पेश की गई है।

पेरोकार सरकार द्वारा बहस में बताया कि आ.नं. 1043 भूमि वर्तमान में भैरूजी धर्मराज के नाम है। आयुक्त महोदय, देवस्थान विभाग राज0 उदयपुर के अ.शा.पत्र दिनांक 19.6.2020 एवं इस कार्यालय के पत्रांकः प.12/17( )राजस्व/2020/1419–36 दिनांक 22 जुलाई,2020 अनुसार मंदिर/मूर्ति की अतिक्रमित भूमि पर तहसीलदार कार्यवाही करेंगे। तहसीलदार देलवाड़ा द्वारा धारा 91 का प्रकरण मानते हुए कार्यवाही की गई, जो उपयुक्त है। रास्ते की भूमि के लिये संबंधित न्यायालय में अनुतोष प्राप्त किया जा सकता हैं। उक्त भूमि वर्तमान में देवस्थान के नाम दर्ज है।

न्यायालय जिला कलक्टर

अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधिनुकूल होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं तहसीलदार देलवाड़ा द्वारा जारी आदेश के अवलोकन से प्रकट हैं कि अपीलांट द्वारा ग्राम लालमादड़ी में श्री भैरूजी धर्मराज जी स्थान देह के नाम दर्ज आ.नं. 1043 रकबा 0.01 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर मिट्टी का भराव डालकर भूमि का स्वरूप परिवर्तन कर अन उपजाउ बना दिया है। राजस्व अभिलेख अनुसार उक्त भूमि मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज है शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–6)विभाग के पत्रांकः प–3(2)राज–6/2007 पार्ट दिनांक 20.08.2020 के अनुसार मंदिर मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण किये जाने पर बिलानाम/चरागाह भूमि पर की जाने वाली कार्यवाही की तरह ही एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार को कार्यवाही करने का प्रावधान होने से तहसीलदार, देलवाड़ा द्वारा राजस्थान राजस्व भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत विपक्षी/अपीलांट श्री हरीश सोनी पिता श्री मनोहर सोनी द्वारा भैरूजी धर्मराज जी स्थान देह के नाम दर्ज आ.नं. 1043 के रकबा 0.01 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर मिट्टी से भर दिया जाने से विपक्षी/अपीलांट को एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर 7 दिवस में भराव की गई संपूर्ण मिट्टी हटा लेने तथा उक्त अवधि में नहीं हटाये जाने पर सरकार द्वारा मिट्टी हटाई जाने पर समस्त खर्चा विपक्षी से वसूल किये जाने के आदेश दिये गये जो विधिनुकूल होकर उचित है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार/खारीज की जाकर तहसीलदार, देलवाड़ा द्वारा पारित आदेश प्र.सं. 84/2020 निर्णय दिनांक 14.09.2020 को यथावत रखते हुए तहसीलदार, देलवाड़ा को यह निर्देशित किया जाता हैं कि दिनांक 14.09.2020 में दिये गये आदेश की पालना विपक्षी/अपीलांट से अपने स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करें।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 12.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमंद